International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070
Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 4; Issue 4; July 2018; Page No. 93-96

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रवृत्तिया

सोनिया दहिया[1], डॉ० सीमा शर्मा [2]

[1] शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत।

[2] एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत।

सारांश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जोकि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। यह भारत में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रबंधित की गई है। यह भारत के गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्य और गैर–खाद्य वस्तुओं को वितरित करती है जिनमें – गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल शामिल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनः पेश करने का निर्णय देश के सबसे दूरस्थ और सबसे वंचित क्षेत्रों तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था जहाँ, गरीबों की जनसंख्या अधिक थी फलस्वरूप जून, 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस) लागू की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्य सब्सिडी न मिलने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गंभीर आलोचना हुई जिसकी वजह से सरकार ने 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई। इसके अन्तर्गत गरीबों की पहचान, खाद्यान्नों का वितरण व उचित दर की दुकानों के स्तर पर पारदर्शिता का कार्य राज्यों को सौंपा गया। बीपीएल की जनसंख्या के जारी निर्धन तबकों के बीच भूखमरी हटाने के लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में अंत्योदय अन्न योजना एक कदम है। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसम्बर, 2000 में सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूँ एवं 3 रूपये प्रति किलोग्राम चावल की उच्च सब्सिडी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। यह शोधपत्र द्वितीय आँकडों पर आधारित है। प्रस्तुत शोधपत्र में हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। इस शोधपत्र में हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए गए गेहूँ के आवंटन और उठाव को दर्शाया गया है। इस विश्लेषण के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution System) के अन्तर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन द्वारा जारी वर्ष 2006–07 से 2017–18 तक के आँकडों का प्रयोग किया गया है तथा विश्लेषण के लिए हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रवृत्तियों को दर्शाने हेतु वार्षिक यौगिक वृद्धि दर का प्रयोग किया गया है और आवश्यकतानुसार रेखा चित्र का प्रयोग भी किया गया है।

मूल शब्द : भारतीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

प्रस्तावना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई है। यह भारत में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रबंधित की गई है। यह भारत के गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्य और गैर–खाद्य वस्तुओं को वितरित करती है। वितरित प्रमुख वस्तुओं में सार्वजनिक वितरण दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से मुख्य अनाज जैसे कि– गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल शामिल है।

संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

कुछ समय बाद यह महसूस किया गया कि वास्तव में गरीब क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहे थे। उनके असुविधाजनक भौगोलिक स्थान, खराब सार्वजनिक वितरण प्रणाली आधारभूत संरचना और कम क्रयशक्ति इसके पीछे मुख्य कारण थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनः पेश करने का निर्णय देश के सबसे दूरस्थ और सबसे वंचित क्षेत्रों तक प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था जहाँ, गरीबों की जनसंख्या अधिक थी फलस्वरूप जून, 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस) लागू की गई थी।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्य सब्सिडी न मिलने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गंभीर आलोचना हुई जिसकी वजह से सरकार ने 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई। इसके अन्तर्गत गरीबों की पहचान, खाद्यान्नों का वितरण व उचित दर की दुकानों के स्तर पर पारदर्शिता का कार्य राज्यों को सौंपा गया। नई प्रणाली के तहत गरीबों के लाभ के लिए दो स्तरीय सब्सिडी वाली मूल्य निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। इसमें गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) तथा गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) में विभाजित किया गया। बी.पी.एल. परिवारों को आधे आर्थिक लागत पर अनाज की पेशकश की गई जबकि ए.पी. एल. परिवारों के लिए आर्थिक लागत पर अनाज की आपूर्ति की गई। इस प्रकार टीपीडीएस एक "सभी क्षेत्रों में गरीब वर्ग को अनाज की सब्सिडी" वाले प्रावधान को अपनाता है जबकि आरपीडीएस में "सभी गरीब क्षेत्रों में अनाज की सब्सिडी" को अपनाया गया।

अन्त्योद्य अन्न योजना

बीपीएल की जनसंख्या के जारी निर्धन तबकों के बीच भूखमरी हटाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य को

पूरा करने की दिशा में अंत्योदय अन्न योजना एक कदम है। टीपीडीएस पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से तथा जनसंख्या की इस श्रेणी को लक्षित करने के लिए निर्धन परिवारों में से एक करोड़ अधिकतम निर्धनों के लिए अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसम्बर, 2000 में सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम गेहूँ एवं 3 रूपये प्रति किलोग्राम चावल की उच्च सब्सिडी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। इस योजना में 1 अप्रैल, 2002 से शुरूवाती 25 किलोग्राम अनाज से 35 किलोग्राम अनाज प्रति परिवार प्रति महीने बढ़ा दिया गया। 2004–2005 में की गई घोषणा के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार 50 लाख बीपीएल परिवारों के लिए किया गया। इस योजना के अंतर्गत 30 अप्रैल, 2009 तक राज्यों द्वारा 242.75 लाख अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। भारतीय संसद द्वारा पारित होने के उपरांत सरकार द्वारा 12 सितम्बर, 2013 को इसे कानून बना दिया गया। इस कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक तथा शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत तक की आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इस प्रकार देश की लगभग दो–तिहाई जनसंख्या को सब्सिड़ी वाला अनाज मिलने का प्रावधान है। इस अधिनियम में मिड़ ड़े मील स्कीम, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है। पात्र परिवारों को प्रतिमाह पांच कि. ग्रा. चावल, गेहूं व मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 व 1 रुपये प्रति कि. ग्रा. की रियायती दर पर मिलने का प्रावधान है।

साहित्य का पुनरावलोकन :

- सिंह. इटी. एल. ने 2011 में अपने अध्ययन में बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का निरिक्षण करने का प्रयास किया है। यह अध्ययन प्राथमिक व द्वितीय समंकों पर आधारित है। इन्होंने अध्ययन में पाया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिचय के बाद बिहार में खाद्यान्नों के वितरण व उठाव में सुधार हुआ है। इन्होंने देखा कि अधिकतर उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता स्थानीय राजनीतिज्ञ है व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ये विक्रेता अधिकारियों को रिश्वत देते है जिस कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लाभकर्ताओं को नहीं मिल पाता। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जारी अनाज का वितरण उचित मूल्य की दुकानों पर न कर निजी विक्रेताओं में कर दिया जाता है। इस प्रकार इन्होंने देखा कि बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं है।
- सेवडबर्ग ने 2012 में अपने अध्ययन में उस समय प्रचलित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जाँचने व इसे नई नकद हस्तांतरण योजना (Cash Transfer Scheme) से प्रतिस्थापित करने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया। इसमें इन्होंने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न अनुदान योजना व नकद हस्तांतरण योजना की तुलना की। इन्होंने देखा कि वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अकुषलता के कारण यह खाद्यान्न उपभोग को बढ़ाने में असफल रही है। इन्होंने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार द्वारा प्रतिव्यक्ति पर 9 रू० प्रतिकिलोग्राम के हिसाब से खाद्यान्नों पर अतिरिक्त वहन करना पड़ता है। लेकिन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार होने के कारण इसका आधा भाग भी गरीबों तक नहीं पहुँच पाता। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मुख्य कमियां अकुशलता, भ्रष्टाचार और बड़े पैमाने पर चोरी इत्यादि है। इसके लिए इन्होंने बताया कि एक औसत गरीब परिवार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जारी कुल अनाज का लगभग आधा भाग ही खरीद पाता है लेकिन नकद हस्तांतरण द्वारा लोगो की अपनी इच्छानुसार खाद्यान्नों को चुनने की क्षमता में, वस्तुओं की विविधता आदि में वृद्धि होगी व इससे इनके कल्याण में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा इस योजना द्वारा भ्रष्टाचार व चोरी आदि की समस्या में भी कमी होगी व कुशलता में भी वृद्धि होगी इसलिए इन्होंने इसे पूरे देश में लागू करने का सुझाव दिया है।
- अंजनी अयप्पा ने 2014 ने अपने शोधपत्र में भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति में अस्थायी परिवर्तनों का आंकलन किया है। अध्ययन में पाया कि शरत में खाद्य सुरक्षा के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लागू होने से गरीबी में कमी और खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ है और समय के साथ–साथ सुधार में वृद्धि हो रही है। इस शोधपत्र में अनाज की राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धता के मामले में, शेजन और आवश्यक पोषक वस्तुओं का गरीब जनता तक घरेलू स्तर पर पहुँच के मामले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के योगदान की जांच की है।
- अंजिक्य टैंकेले ने 2015 ने अपने शोधपत्र में लोगों की भूख व उनके भोजन की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभाव की जांच की। इन्होनें मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिचालन, सामरिक पहलुओं पर प्रभाव डाला है और एनएफएसए (NFSA) पर इसके प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित करते है। उन्होनें पाया कि सीमित संसाधन, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या बुनियादी ढ़ांचे की कमी परिचालन अक्षमता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ठीक से लागू न होना आदि इस प्रस्तावित अधिनियम 2013, के सफल कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाएं है। यह अध्ययन अनाज की खरीद, भण्डारण और वितरण में प्रमुख सुधारों की आवश्यकता पर जोर देता है।

इस शोधपत्र का निम्नलिखित उद्देश्य हैः

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रवृत्तियों को दर्शाना।

विधि

यह शोधपत्र द्वितीय आँकडों पर आधारित है। इस शोधपत्र में हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। इस शोधपत्र में हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए गए गेहूँ के आवंटन और उठाव को दर्शाया गया है। इस विश्लेषण के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय (Ministry of consumer affairs and public distribution system) के अन्तर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन द्वारा जारी वर्ष 2006–07 से 2017–18 तक के आँकडों का प्रयोग किया गया है तथा विश्लेषण के लिए हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रवृत्तियों को दर्शाने हेतु

वार्षिक यौगिक वृद्धि दर को ज्ञात किया गया और आवश्यकतानुसार रेखा चित्र, का प्रयोग भी किया गया है।

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रवृत्तियाँ

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए गए गेहूँ और चावल के आवंटन और उठाव को तालिका तथा रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है:–

हरियाणा में गेहूँ का आवंटन व उठाव

तालिका संख्या–1 के माध्यम से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए गए गेहूँ के आवंटन और उठाव को दर्शाया गया है:–

तालिका: 1

वर्ष	गेहूँ	
	आवंटन	उठाव
2006-07	463.72	248.72
2007-08	382.20	255.03
2008-09	591.75	377.19
2009-10	980.47	501.67
2010-11	685.24	613.10
2011-12	732.42	586.43
2012-13	756.01	465.42
2013-14	632.50	481.77
2014-15	795.00	732.47
2015-16	795.00	780.21
2016-17	795.00	756.15
2017-18	795.00	641.09
CAGR	0.050226193	0.08988968

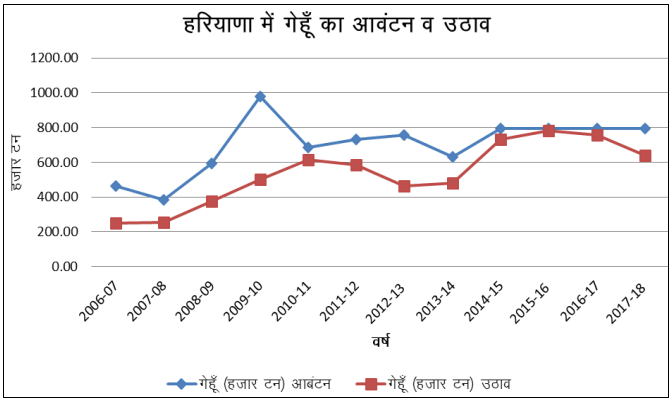

रेखाचित्र: 1

रेखा चित्र के माध्यम से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए गए गेहूँ के आवंटन व उठाव की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। रेखाचित्र में स्पष्ट है कि इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन व उठाव की प्रवृत्तियों को दर्शाने के लिए 12 वर्षो के आँकडों का प्रयोग किया गया है। इस रेखाचित्र में 2006–07 से लेकर 2017–18 तक के आँकडों का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है कि 2006–07 से लेकर 2017–18 के मध्य गेहूँ के आवंटन व उठाव में प्रतिवर्ष वृद्धि देखने को मिली है लेकिन रेखाचित्र में गेहूँ की मात्रा का आवंटन कुछ वर्षो में समान देखने को मिला। रेखाचित्र स्पष्ट करता है कि जहाँ गेहूँ का आवंटन 2006–07 में 463.72 हजार टन था व 2017–18 में बढ़कर 795.00 हजार टन हो गया। रेखाचित्र में यह भी स्पष्ट है कि 2007–08, 2010–11 व 2013–14 में गेहूँ के आवंटन में बाकी वर्षो की तुलना में कमी देखने को मिली है। यदि हम गेहूँ के उठाव की बात करे तो इसमें भी कुछ वर्षो में कमी देखने को मिली है। इस रेखाचित्र में 2006–07 में जहाँ गेहूँ का उठाव 248.72 हजार टन था वह बढ़कर 2017–18 में 641.09 हजार टन हो गया। रेखाचित्र से यह शी स्पष्ट है कि 2011–12, 2012–13, 2013–14 व 2017–18 में बाकि वर्षो की तुलना में कमी देखने को मिली है। इस रेखाचित्र में गेहूँ का उठाव, गेहूँ के आवंटन की तुलना में सभी वर्षो में कम देखने को मिला है।

हरियाणा में मिट्टी के तेल का आवंटन व उठाव

निम्न तालिका के माध्यम से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए गए मिट्टी के तेल के आवंटन और उठाव को दर्शाया गया है:–

तालिका: 2

वर्ष	मिट्टी का तेल (लीटर)	
	आवंटन	उठाव
2006-07	187116	186960
2007-08	187116	186530
2008-09	185227	185042
2009-10	186111	185920
2010-11	172632	171999
2011-12	157260	157170
2012-13	95076	94896
2013-14	89544	88896
2014-15	89616	89352
2015-16	76344	70788
2016-17	42312	35880
CAGR	-0.1381429	-0.152167

स्त्रोतः खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन

शोधार्थी द्वारा परिगणित

उपरोक्त तालिका में 2006–07 से 2016–17 तक के आँकडों का प्रयोग किया ग या है। इसमें मिट्टी के तेल के आवंटन व उठाव में प्रतिवर्ष कमी देखने को मिली। जहाँ 2006–07 में मिट्टी के तेल का आवंटन 187116 लीटर था वह 2016–17 में घटकर 42312 लीटर हो गया। लेकिन इसमें 2012–13 व 2016–17 में बाकी वर्षो की तुलना में भारी कमी देखने को मिली है। मिट्टी के तेल के आवंटन की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर –1.3 देखने को मिली। यदि हम मिट्टी के तेल के उठाव की बात करे तो इसमें भी निरन्तर कमी देखने को मिली है। इस तालिका में 2006–07 में जहाँ मिट्टी के तेल का उठाव 186960 लीटर था वह घटकर 2016–17 में 35880 लीटर हो गया। लेकिन इसमें 2012–13 व 2016–17 में बाकी वर्षो की तुलना में भारी कमी देखने को मिली है। तालिका से स्पष्ट होता है कि मिट्टी के तेल के उठाव की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर –1.5 देखने को मिली तालिका में मिट्टी के तेल के उठाव की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर मिट्टी के तेल के आवंटन की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर से कम है।

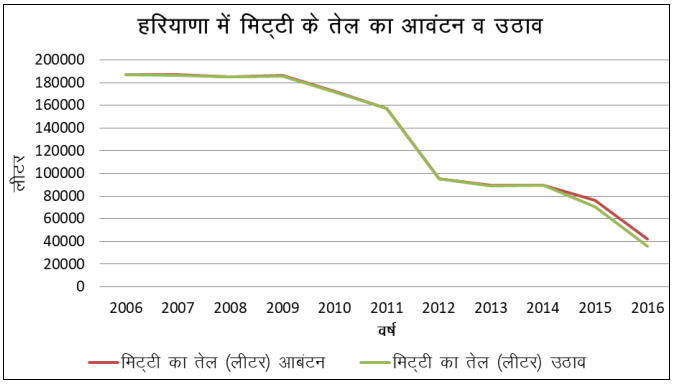

रेखाचित्र: 1

उपरोक्त आँकड़ों को रेखाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस रेखाचित्र में 2006–07 से लेकर 2016–17 तक के आँकडों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र से स्पष्ट है कि 2006–07 से लेकर 2016–17 के मध्य मिट्टी के तेल के आवंटन व उठाव में प्रतिवर्ष कमी देखने को मिली है। रेखाचित्र स्पष्ट करता है कि जहाँ मिट्टी के तेल का आवंटन 2006–07 में 187116 लीटर था व 2016–17 में घटकर 42312 लीटर हो गया। रेखाचित्र में यह भी स्पष्ट है कि 2012–13 व 2016–17 में इन वर्षो में मिट्टी के तेल के आवंटन में बाकी वर्षो की तुलना में भारी कमी देखने को मिली है। यदि हम मिट्टी के तेल के उठाव की बात करें तो इसमें भी कुछ वर्षो में कमी देखने को मिली है। इस रेखाचित्र में 2006–07 में जहाँ मिट्टी के तेल का उठाव 186960 लीटर था वह घटकर 2016–17 में 35880 लीटर हो गया। रेखाचित्र से यह भी स्पष्ट है कि 2012–13 व 2016–17 में इन वर्षो में मिट्टी के तेल के उठाव में भारी कमी देखने को मिली है। इस रेखाचित्र में मिट्टी के तेल का उठाव तथा मिट्टी के तेल का आवंटन लगभग समान देखने को मिला है।

निष्कर्ष

शोधपत्र में उपरोक्त तालिका में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय के अन्तर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन द्वारा जारी वर्ष 2006–07 से 2017–18 तक के आँकडों का प्रयोग किया गया है। शोधपत्र में तालिका के माध्यम से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए गए गेहूँ के आबंटन और उठाव को दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है इसमें गेहूँ के आबंटन की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर 5.0 देखने को मिली और गेहूँ के उठाव की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर 8.9 देखने को मिली जोकि गेहूँ के आबंटन की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर से अधिक है और शोधपत्र में तालिका के माध्यम से हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किए गए मिट्टी के तेल का आबंटन और उठाव भी दर्शाया गया है। जहाँ 2006–07 में मिट्टी के तेल का आबंटन 187116 लीटर था वह 2016–17 में घटकर 42312 लीटर हो गया। मिट्टी के तेल के आबंटन की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर –1.3 देखने को मिली और मिट्टी के तेल के उठाव की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर –1.5 देखने को मिली तालिका में मिट्टी के तेल के उठाव की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर मिट्टी के तेल के आबंटन की वार्षिक यौगिक वृद्धि दर से कम है।

सन्दर्भ सूची

1. Ram, Atma. Public Distribution System in Haryana, International Journal of Research in Engineering, IT & Social Sciences. 2015; 5:4l.
2. Bhagwat RO, Raut DN, Harmoniz J Res. Eng. 2016; 4(3):76-83.
3. Shanmugam P, Thomas K. Performance of Public Distribution System in Allocation and Distribution of Grains in Kerala, EPRA International Journal of Economic and Business Review, 2017, 5.
4. Kumar A, Ayyappan S. Food Security and Public Distribution System in India, National Academy of Agricultural Sciences, Springer. 2014; 3(3):271-277.
5. Tanksale A, Jha JK. Implementing National Food Security Act in India: issues and challenges, British Food Journal, Emrald Insight. 2015; 1174, 1315-1335.
6. Public Distribution Department, Haryana
7. http://haryanafood.gov.in/orders/order6.pdf
8. www.pdsportal.nic.in